# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ /सां.लि/कोरोना/2021/1038

कवर्धा, दिनांक 11.02.2021

वर्तमान में कबीरधाम जिला अंतर्गत कोविड–19 से पॉटिजीव मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश (एस.ओ.पी.) दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के अनुक्रम में कबीरधाम जिला अंतर्गत स्थित स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को संचालित करने हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया जाता है :–

01. यथासंभव ऑनलाईन क्लास/डिस्टेंन्स लर्निंग को प्राथमिकता दिया जावे।
02. संस्थान में बैठक क्षमता का एक समय में केवल 50 प्रतिशत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
03. संस्थान में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक–पृथक हो यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो।
04. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें, संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खांसते/छींकते समय टिशु पेपर/रूमाल/मुंढी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगें। संस्थान के संचालक/प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामाग्री का ठीक से निपटारा किया जावे।
05. संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉशरूम, कुर्सी टेबल, बेंच, कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, पाठ्य सामाग्री, लॉकर, क्लास रूम एवं ऐसी सतह जो टच फ्री मोड में न हो को समय–समय पर 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से साफ करना होगा।
06. लैपटॉप, नोटबुक, पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।
07. संस्थान में संचालित कैंटीन यथासंभव बंद रखा जावे।
08. संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
09. संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय–समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावे।
10. संस्थान में बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी रंखना अनिवार्य होगा।
11. संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
12. संस्थान में सैनेटाईजर थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर संस्थान में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संस्थान के संचालक/प्राचार्य की होगी।
13. संस्थान की बैठक क्षमता, यदि कम हो तो विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को अलग–अलग समय में बुलाया जावे।
14. संस्थान में यदि एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रखना होगा।
15. उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुए कान्टेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
16. संस्थान में उपस्थित किसी व्यक्ति/विद्यार्थी को यदि किसी प्रकार का कोरोना से संभावित लक्षण लगता है तो उसको तत्काल अन्य व्यक्तियों से अलग (आइसोलेटेड) करनी होगा एवं इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी।
17. संस्थान में कोविड–19 से बचाव हेतु उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।
18. संस्थान में पान गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है।

19. संस्थान में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें उपस्थिति होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्स ट्रेसिंग किया जा सके।
20. कंटेन्मेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कंटेन्मेंट जोन के समस्त निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
21. इन सभी शर्तो के अतिरिक्त कोविड–19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
22. उपरोक्त दिये गये किसी शर्तो का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान के संचालक/प्राचार्य की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकुल कार्यवाही की जावेगी।

(रमेश कुमार शर्मा)
**कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी**
**जिला कबीरधाम (छ.ग.)**

पृ.क्रमांक/ 1039/सां.लि/कोरोना/2021 — कवर्धा, दिनांक 11.02.2021

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व अनुविभागीय दण्डधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम को kawardha.gov.in में जनसामान्य के सुविधा हेतु आदेश की प्रति अपलोड करने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व तहसीलदार, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक संचालक, जनसंपर्क, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती.............................................................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी**
**जिला कबीरधाम (छ.ग.)**